

06/11/2018

श्रीमान एसडीएम साहब  
अन्वेषण/मुद्रा/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त  
हैं। पत्रावली दिनांक 06.11.2018 को पेश हो।

रिपट

21/10 933 लाव करीबिन उपर। पत्रावली कदम

बैतु अंतिक अपस्यु इमरु रर रिंक

06.11.2018 को पेश हो।

22

06/11/18

कमील उअत्रपन्न उपस्थित/ अदस पत्रावली कदमी  
गवी/ कमील डावर्नी ने अपनी अदस में निवेदन  
रिक्त कि उअर हुसना मामला, हुविधा का संतुलन  
डावर्नी के पन्न में हो यदि निवेदाजा पारित करी  
जाती है, तो रिक्त में किसी उअर के अंतरण होना  
में संभावना है, जिससे डावर्नी की अदुतीति प्रतिष्ठा  
कमील डावर्नी ने अपनी अदस में स्पष्ट रिक्त कि  
अडावर्नीगिड रिकार्ड आंतरण है, यदि अडावर्नीगिड के  
निष्कर्ष किसी उअर की निवेदाजा पारित की जाती है,  
तो अदुतीति प्रतिष्ठा अडावर्नीगिड को होगी/ अदस पत्रावली  
के अधिवक्तागड पर मजक रिक्त। तथा पत्रावली का  
अवलीमक रिक्त/ अवलीमक पइनात-आजालर का अद  
निष्कर्ष है कि यदि निवेदाजा पारित करी की जाती है तो  
रिक्त में किसी उअर का अंतरण होता है तो  
रिक्त

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम, जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी किए

मुकदमाबारी करने की सम्भावना है। लिहाजा ऐसी  
स्थिति में जर्बना-यत् स्वीकार किया जाना उचित  
प्रतीत होता है।

लिहाजा अत विवेचन के आधार पर  
न्यायलय इस दिनांक 24.04.2012 को जमी  
अस्वादि निषेधाज्ञा को मूल वाद के निमित्त तक  
कन्फर्म किया जाता है। फावली मंसली में शुमार  
होकर मूल वाद सिलग्न रहे।

22

उपखण्ड अधिकारी  
'रायसिंहनगर'

1  
सिख  
बाद

4P

20

